राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक प. 7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 15.06.2021

आदेश

विषय : विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 **त्रिस्तरीय जन–अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा–निर्देश 2.0** के क्रम में अतिरिक्त दिशा–निर्देश।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07.06.2021 **त्रिस्तरीय जन–अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा–निर्देश 2.0** की निरन्तरता में निम्नानुसार अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या **10** से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
2. किसी भी प्रकार की **खेल–कूद संबंधी गतिविधियों** का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा।
3. **पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल** सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे प्रथम दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोडकर एक (Alternate) खोली जा सकेगी।

   जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी।
4. **रेस्टोरेन्ट्स** आदि संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा **सोमवार से शनिवार** प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का **50 प्रतिशत** के साथ, एक छोडकर एक (Alternate) रूप से अनुमत होगी। रेस्टोरेन्ट्स संचालकों द्वारा वायु का उचित संचार (proper ventilation), कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होगी एवं Take away सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगी।

रेस्टोरेन्ट संचालकों द्वारा रेस्टारेन्ट्स की बैठक क्षमता DoIT के माध्यम से बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करनी होगी।

5. **होटल संचालकों** द्वारा अपने इन हाऊस (in-house) गेस्ट को सर्विस देना अनुमत होगा।
6. शहर में संचालित सीटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक अनुमति होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी (no standing) ।
7. कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए **मेट्रो रेल** संचालन (no standing) की अनुमति होगी।
8. **सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स** को खोलने की अनुमति नहीं होगी। संचालकों द्वारा बैठक क्षमता DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
9. **जिम एवं योगा सेन्टर** को कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिम एवं योगा सेन्टर में वायु का उचित संचार (proper ventilation) हो, कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना इत्यादि की सख्ती से पालना की जाए।

   जिम एवं योगा सेन्टर संचालकों द्वारा जिम एवं योगा सेन्टर की क्षमता की सूचना DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से दिनांक 21.06.2021 तक अपडेट करना अनिवार्य होगा।
10. प्रदेश के समस्त **पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को** खोले जाने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।
11. **शनिवार सायं 05:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।**

    पूर्व में खोले जाने हेतु अनुमत समस्त बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जोकि सोमवार से शुक्रवार तक अनुमत थे उन बाजारों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी।
12. यह आदेश **दिनांक 16 जून, 2021 बुधवार** से प्रभावी होगा।

(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह